रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक : 21/12/2010

प्रति

पुलिस अधीक्षक
जिला जबलपुर।

विषय: प्रदेश के विश्वविद्यालयों व महाविद्यालय क्षेत्र में छात्र छात्राओं की सुरक्षा बनाने तथा प्राध्यापकों के विरूद्ध अपराधों को रोकने तथा अपराधों के विरूद्ध कार्यवाही के संबंध में।

संदर्भ: 1) शासन जिला शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश भोपाल का पत्र क्रमांक 1146/पीएसी/उच्चशिक्षा/10 भोपाल दिनांक 27/11/2010 एवं पत्र क्र. 4198/पीएसी/2010/उच्चशिक्षा-2/[illegible] भोपाल दिनांक 6.12.2010

महोदय,

उपरोक्त विषय एवं संदर्भ में लिखना आपको है कि रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय अधिनियम 1979 की धारा 75(1) एवं 76 के अनुसार रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के विश्वविद्यालय क्षेत्र में स्थित सभी विश्वविद्यालयों के प्राध्यापकों द्वारा कार्यालयों या महाविद्यालयों का संचालन नहीं किया जा सकता तथा यह कि इन महाविद्यालयों में स्थापित विश्वविद्यालय के इस हेतु निबंधित प्रदेश नहीं की गई है जिसे अनुसार उनके विरूद्ध जिला जिला, नगर प्रशासन व अन्यायी कानून ने नहीं प्रदान कर दिया गया है।

रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय अधिनियम 1979 की उक्त धाराओं का उल्लेख निम्नानुसार है ...

धारा 75(1) –

"Every Educational institution in any other area for the time being in force, for colleges or educational institution situated within the territorial limits of this University shall be deemed to be affiliated to any provisions of any other University incorporated by law in India and any such privileges granted by any such other University in any educational institution within these limits from the date of the establishment of this University shall be deemed to be satisfactory or such establishment."

धारा 76(1) –

"No person shall be appointed to the teaching of an educational institution in the area in degree of the University.

Provided that in such application shall be considered unless it is accompanied by a certificate from the Commissioner, Higher Education to the effect that the establishment of the institution or the expansion of the institution sought for the institution has been approved by him."

उपरोक्त धाराओं की अवहेलना में उक्त क्षेत्र स्थित एवं के कि उपरोक्त संदर्भ का उल्लंघन करते हुए उक्त क्षेत्र में स्थापित विश्वविद्यालयों की शाखायें/उपशाखायें जिला शिक्षा विभाग/प्राचार्य केन्द्र/महाविद्यालय अधिनियम 1979 के विरोधित प्रावधानों का उल्लंघन तथा विधिक और अनिवार्यता भंग कर रही हैं। प्रतिनिधि मंत्रालय जिला शिक्षा विभाग म.प्र. शासन द्वारा भी यह नहीं सुनिश्चित की उपरोक्त अनिवार्य महाविद्यालयों द्वारा अनुज्ञा जिला शिक्षा, म.प्र. शासन के बिना किसी प्रकार के अनिवार्यी प्रमाण पत्र प्राप्त किये महाविद्यालय एवं प्रोफेसर संचालित किये जा रहे हैं जिससे जिन अनिवार्यी कुछ पर प्रतिबंधित हैं। इसी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर के भी इन महाविद्यालयों को संचालित करने संबंधी कोई संबंधपत्र प्रदान नहीं की गई है।

1. [illegible]
2. [illegible]
3. [illegible]
4. [illegible]
5. [illegible]
6. [illegible]
7. [illegible]
8. [illegible]
9. [illegible]
10. [illegible]
11. [illegible]
12. [illegible]
13. [illegible]

उपरोक्त विषयों के परिप्रेक्ष्य में उक्त महाविद्यालयों द्वारा संचालनार्थ और महाविद्यालयों का संचालन करना उचित है। अतः इन महाविद्यालयों के संबंध में उपरोक्त विषयों के प्रकाश में आवश्यक अनुपालन तथा निरापदपूर्वक विधिक कार्यवाही करने हेतु अपने जिले संबंधित सुरक्षा बनाने का कृपाकर उक्त बातों, इस संबंध में आपका से अपने संबंधित पत्रों को प्रदेश की सभी महाविद्यालयों एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संचालन का प्रेषित है।

कृपाकर अनुपालनार्थ।

कुलसचिव
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक : 21/12/2010

पृ.क्र./पीएसी/2010/ [illegible]

प्रतिलिपि सूचनार्थ :

1. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन, मंत्रालय भवन, भोपाल।
3. अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, जबलपुर-संभाग जबलपुर, जबलपुर।
4. कुलपति के सचिव, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर।
5. कुलसचिव के निज सहायक, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर।

कुलसचिव
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर